न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा – पत्र

79/2025

शांतिबाई बनाम राजेश कुमार शर्मा किस्म मुकदमा –225 अपील संख्या – 2025/159

अभिभाषक अपीलांट – श्री जगदीश नंदवाना अभि0 रेस्पो0 – जगदीश शर्मा (केवियटकर्ता) R-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर या तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.7.25	विद्वान अभिभाषक श्री जगदीश नंदवाना की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना, जिला झालावाड के प्रकरण संख्या 07/2025 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.06.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के साथ अभिभाषक अपीलांट द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पोडेंट कम 1 राजेश कुमार शर्मा की ओर श्री जगदीश शर्मा एड0 द्वारा केवियट पेश की गयी है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलाट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश की आड़ मे प्रतिपक्षी संयुक्त खातेदारी की भूमि को खुर्द–बुर्द करने के प्रयास मे है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना रोका जाना न्यायोचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पालना स्थगित रखे जाने की आज्ञा प्रदान करे। अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि अंतरिम आदेश की अपील नहीं हो सकती है। प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय में नियत पेशी पर उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने हेतु स्वतंत्र है। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जायें हमने प्रस्तुत अपील का अद्योपान्त अवलोकन किया। अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत अंतरिम आदेश दिनांक 11.06.2025 का है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11.06.2025 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अंतरिम आदेश से उभयपक्षकारान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.07.2025 नियत की है। प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण नहीं हुआ है एवं प्रकरण वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण होना शेष है। (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	

अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में नियत तारीख पेशी पर विधिक प्रकिया के तहत अपना पक्ष रखकर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में अपील के वर्तमान स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण में गुणावगुण पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। चूंकि प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का है। अतः प्रकरण का शीघ्र अंतिम निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अतः अधीनस्थ न्यायालय को आदेश 39 नियम 3 सी.पी.सी. की पालना करते हुए प्रकरण का शीघ्र निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश के संज्ञान में आने के उपरांत 30 दिवस के भीतर सीपीसी के आदेश 39 नियम 3 के अनिवार्य प्रावधानों की पालना करते हुए उभयपक्षकारान को सुनकर प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण करे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो तथा फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/07/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा